Email
Time 2:01 PM
Date 29/8/25

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 25-08-2025

क्रमांक **F-1/1/4/0018/2025-Sec-1-10(FOR)**:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी बरगवां, सामान्य वनमंडल सिंगरौली से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में पदस्थ किया गया, जिसके विरूद्ध श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक **23582/2025** में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक **30.06.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

..... In view of the aforesaid, without expressing any view on the merits of the case, the present petition stands disposed of with direction to respondent No.2 to take decision on the representation (Annexure P-5) dated 23/06/2025 submitted by the petitioner within a period of 30 days from the date of receipt of certified copy of this order, while extending opportunity of hearing to the petitioner as well as respondent No.3 by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

For a period of 30 days or till the decision on the representation of the petitioner (whichever is earlier), the petitioner shall be permitted to continue at his present place of posting i.e.Range Officer, Bargawan, General Forest Division, Singrauli.

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **30.06.2025** के पालन में श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल द्वारा अभ्यावेदन दिनांक **04.07.2025** को प्रस्तुत कर मुख्यत: लेख किया है कि दिनांक **17.06.2025** द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी बरगवां, सामान्य वनमंडल सिंगरौली से परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में किया गया स्थानांतरण उनका **04** वर्षो के अन्दर यह तीसरा स्थानांतरण है। वर्तमान पदस्थापना में मात्र **20** माह अथवा **2** वर्ष से भी कम में पुन: पदस्थापना किया गया है। उनके माता-पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है जिसका इलाज भी चल रहा है। उनका **01** माह का बच्चा है जिसके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। अभी अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने पर परिवार के इलाज एवं स्वास्थ्य पर विपरीत असर पडेगा। अत: शासनादेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा नवीन पदस्थिती अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में की गई पदस्थापना को निरस्त कराते हुए वर्तमान पदस्थिति परिक्षेत्र अधिकारी बरगवां, सामान्य वनमंडल सिंगरौली में यथावत पदस्थ रखने का का कष्ट करें।

कक्ष / कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

3/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपर द्वारा रिट पिटीशन **23582/2025** में पारित आदेश दिनांक **30.06.2025** अनुसार आवेदक श्री सागर शुक्ला एवं अनावेदक न. 3 श्री विकास मिश्रा दोनों वनक्षेत्रपालो को दिनॉक **11.08.2025** को अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा समक्ष में सुना गया।

4/ श्री सागर शुक्ला परिक्षेत्र अधिकारी बरगवां, सामान्य वनमंडल सिंगरौली में माह **10/2023** से पदस्थ है। श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल का गृह जिला उत्तर प्रदेश राज्य में है। वे माता- पिता की देखभाल, नवीन पदस्थापना पन्ना जिले की सीमा जो उ.प्र. राज्य से संलग्न है, से भी कर सकते हैं। वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से स्थानांतरण नीति की कंडिका **17, 18** अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि **3** वर्ष में ही स्थानांतरण किया जावे. इस प्रकार शासन अपने प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत **3** वर्ष के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेदन मे पुत्र की उम्र **1** माह बताई गई है जिससे सथानांतरण के कारण पुत्र की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की भी संभावना नहीं है। अनावेदक न. **3** श्री विकास मिश्रा, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपना पक्ष रखते हुये लेख किया पूर्व पदस्थापना काष्ठागार अधिकारी हरई काष्ठागार छिंदवाड़ा उत्पादन वनमंडल में **4** वर्ष से अधिक समय हो चुका है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा समग्ररूप से विचारोपरांत श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **04.07.2025** को अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 25-08-2025
13:50:34

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0018/2025-Sec-1-10**, भोपाल दिनांक **25-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्मंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल तत्काल भारमुक्त करने हेतु।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।)

मध्यप्रदेश, तत्काल भारमुक्त हेतु ।

9. गार्ड फाईल।

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल
(शाखा-प्रशासन-।।)

पृ.क्र./प्रशा-।।/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 4690 भोपाल दिनांक 29/08/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा/छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री सागर शुक्ला, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री सागर शुक्ला, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(कमलिका मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-।।)
मध्यप्रदेश भोपाल